अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति के समक्ष

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरजीत कौर और अन्य-प्रतिवादी

2014 का एफएओ नंबर 4623

02 नवंबर 2018

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 और 163 ए-वाहन का उधारकर्ता-व्यक्तिगत दुर्घटना कवर-मुआवजा-मृत उधार मोटर साइकिल, पिता के स्वामित्व में-जीआर-36 के तहत परिभाषित शब्द 'मालिक-चालक' से पता चलता है कि वाहन का केवल पंजीकृत मालिक ही व्यक्तिगत दुर्घटना कवर का हकदार है यदि उसके पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है-मालिक का प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के दायरे में नहीं आता है-मुआवजे का पुरस्कार अलग रखा गया-धारा 140 के मद्देनजर दावेदार बिना किसी गलती के दायित्व के लिए 50,000 रुपये के हकदार हैं।

माना गया कि 'मालिक-चालक' शब्द को जीआर-36 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि "अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर केवल देयता और पैकेज नीतियों दोनों के तहत लागू होगा। 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बीमित वाहन के मालिक को इस धारा के प्रयोजनों के लिए मालिक-चालक कहा जाता है। परिभाषा स्पष्ट रूप से 'मालिक-चालक' के अर्थ को प्रतिबंधित करती है। इसमें केवल बीमित वाहन का मालिक शामिल है। एक और शर्त यह है कि पी. ए. सी. मालिक के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए एक 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

(पैरा 13)

इसके अलावा, जीआर-36 में उस नोट में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक ही व्यक्तिगत दुर्घटना कवर का हकदार है यदि उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है। उक्त कवर वहां नहीं दिया जाना है जहां वाहन का स्वामित्व किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह के निकाय कॉर्पोरेट के पास है। यह आगे स्पष्ट करता है कि मालिक का प्रतिनिधि पीएसी के दायरे में नहीं आएगा।

(पैरा 14)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'मालिक-चालक' शब्द को परिभाषित किया गया है, इसलिए, दावेदार को लाभ देने के लिए परिभाषा से कोई शब्द नहीं जोड़ा या हटाया जा सकता है ताकि 'मालिक-चालक' शब्द का अर्थ मालिक या चालक तक बढ़ाया जा सके।

(पैरा 15)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद चौधरी।

अवनीश झिंगन, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) मोटर साइकिल धारक बीमाकर्ता का पंजीकरण सं। सीएच 01-एबी-7301 (इसके बाद 'मोटर साइकिल' के रूप में संदर्भित) ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 01.11.2013 के फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है।

(2) वर्तमान अपील के न्यायनिर्णयन के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि 04.06.2012 को मोटर वाहन दुर्घटना हुई थी। प्रदीप सिंह मोटर साइकिल चला रहे थे और लगभग 8:00 p.m. पर जब वह सेक्टर 29-30, चंडीगढ़ के डिवाइडिंग रोड पर पहुंचे, तो उनकी मोटर साइकिल में एक मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया और नियंत्रण से बाहर हो गए, वह नीचे गिर गए और उन्हें चोटें आईं जो घातक साबित हुईं। दुर्घटना के समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। मृतक की मां ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 163-ए के तहत एक दावा याचिका दायर की थी।

(3) न्यायाधिकरण ने तथ्यों पर विचार करने और साक्ष्य की सराहना करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मृतक मोटर साइकिल का उधारकर्ता था और मोटर साइकिल उसके पिता के स्वामित्व में थी, इसलिए दावेदार अधिनियम की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का हकदार नहीं होगा। यह माना गया कि बीमा पॉलिसी एक पैकेज पॉलिसी थी और इसलिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (पीएसी) के खाते में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज के साथ दावेदार को दिए गए थे।

(4) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक उधारकर्ता होने के कारण पी. ए. सी. के अंतर्गत नहीं आता है।

(5) वर्तमान अपील में विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या वाहन का उधारकर्ता पी. ए. सी. के अंतर्गत आता है।

(6) यह मुद्दा कि वाहन का उधारकर्ता भी पी. ए. सी. के अधीन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के निंगम्मा और दूसरे बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,2009 (13) एससीसी 710 के निर्णय से उत्पन्न तर्क पर आधारित है।

(7) उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दे पर विचार कियाः -

"13. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि, जो मोटर वाहन चला रहा था, वास्तविक मालिक से इसे उधार लेने के बाद किसी अन्य वाहन को शामिल किए बिना दुर्घटना का शिकार हो जाता है, एमवीए की धारा 163-ए के तहत या कानून के किसी अन्य प्रावधानों के तहत मुआवजे का हकदार होगा और यह भी कि क्या बीमा पॉलिसी जारी करने वाला बीमाकर्ता मृतक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा? "

(8) इस मुद्दे का निर्णय लिया गया था और इसे निम्नानुसार रखा गया थाः -

"19. हम पहले ही एमवीए की धारा 163-ए निकाल चुके हैं। उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान मामले में मृतक जैसे व्यक्ति वाहन के मालिक की जगह लेंगे। ऐसे मामले में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई थी या जहां वह उक्त मोटर वाहन से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गया था, उस घटना में मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व बीमा कंपनी या मालिक पर है, जैसा भी मामला हो, धारा 163-ए के तहत प्रदान किया गया है। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि चालक मोटर वाहन का मालिक है, तो उस मामले में मालिक स्वयं मुआवजे का प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि उसी का भुगतान करने का दायित्व उस पर है। एमवीए की धारा 163-ए को पढ़ने पर यह प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। तदनुसार, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जिन्होंने मोटर वाहन के मालिक के जूते में कदम रखा है, वे एमवीए की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते थे। "

(9) इस स्तर पर अधिनियम की धारा 140 और 163-ए और जीआर-36 को उद्धृत करना उचित होगा।

140 ". कुछ मामलों में कोई गलती नहीं के सिद्धांत पर मुआवजे का भुगतान करने की देयता -

(1) जहां मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई है, वहां वाहन का मालिक, या, जैसा भी मामला हो, वाहन के मालिक, संयुक्त रूप से और अलग-अलग, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मृत्यु या विकलांगता के संबंध में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) मुआवजे की राशि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में उपधारा (1) के तहत देय होगी, पचास हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी और किसी व्यक्ति के स्थायी विकलांगता के संबंध में उस उपधारा के तहत देय मुआवजे की राशि पच्चीस हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मुआवजे के किसी दावे में दावेदार से यह अभिवचन करने और यह स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी अक्षमता, जिसके संबंध में दावा किया गया है, संबंधित वाहन या वाहन के मालिक या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण थी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मुआवजे का दावा उस व्यक्ति के किसी अनुचित कार्य, उपेक्षा या चूक के कारण विफल नहीं किया जाएगा जिसकी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में दावा किया गया है और न ही ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में वसूली योग्य मुआवजे की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के लिए जिम्मेदारी में ऐसे व्यक्ति के हिस्से के आधार पर कम की जाएगी।

(5) किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जिसके लिए वाहन का मालिक राहत के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, वह उस समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत मुआवजा देने के लिए भी उत्तरदायी हैः

परन्तु किसी अन्य विधि के अधीन दिए जाने वाले ऐसे मुआवजे की रकम को इस धारा के अधीन या धारा 163-क के अधीन संदेय मुआवजे की रकम से घटा दिया जाएगा।

163-ए संरचित फॉर्मूला आधार पर मुआवजे के भुगतान के रूप में विशेष प्रावधान

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि के बल वाले साधन में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत बीमाकर्ता के मोटर वाहन का स्वामी मोटर वाहन प्रतिकर के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में, जैसा कि दूसरी अनुसूची में इंगित किया गया है, कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मुआवजे के किसी भी दावे में दावेदार से यह अभिवचन करने या स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी अक्षमता जिसके संबंध में दावा किया गया है, वाहन या संबंधित वाहनों के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण था।

(3) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

जीआर 36. मोटर पॉलिसी के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) कवर (वाणिज्यिक वाहनों के लिए टैरिफ की धारा ई, एफ और जी के तहत कवर किए गए वाहनों पर लागू नहीं)

ए. मालिक-चालक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर

अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर केवल देयता और पैकेज पॉलिसियों दोनों के तहत लागू होगा। 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बीमित वाहन के मालिक को इस धारा के प्रयोजनों के लिए मालिक-चालक कहा जाता है।

सह-चालक के रूप में बीमित वाहन में चढ़ने/उतरने या यात्रा करने सहित वाहन चलाते समय मालिक-चालक को कवर प्रदान किया जाता है।

एनबी. यह प्रावधान व्यक्तिगत दुर्घटना कवर से संबंधित है और केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक ही अनिवार्य कवर का हकदार है जहां उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है। इसलिए अनिवार्य पीए कवर नहीं दिया जा सकता है जहां एक वाहन एक कंपनी, एक साझेदारी फर्म या एक समान निकाय कॉर्पोरेट के स्वामित्व में है या जहां मालिक-चालक के पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ऐसे सभी मामलों में, जहां अनिवार्य पीए कवर नहीं दिया जा सकता है, वहां मालिक-चालक के लिए अनिवार्य पीए कवर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाना चाहिए और पॉलिसी में अनिवार्य पीए कवर प्रावधान को भी हटा दिया जाना चाहिए। जहां मालिक-चालक के पास एक से अधिक वाहन हैं, वहां उसके द्वारा चुने गए केवल एक वाहन के लिए अनिवार्य पीए कवर दिया जा सकता है।

(10) निंगम्मा के मामले (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृतक के प्रतिनिधि मोटर वाहन के मालिक के जूते में कदम रखते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 163-ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।

(11) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिकरण ने वाहन के उधारकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि प्रदान करने के लिए पीएसी पर भरोसा करने में गलती की। उनका तर्क है कि पीएसी केवल बीमित वाहन के मालिक के संबंध में है जो घातक दुर्घटना के मामले में इस राशि का हकदार होगा।

(12) जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि एक बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वाहन के उधारकर्ता ने मालिक के स्थान पर कदम रखा है, क्या बीमा कंपनी को एक विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति दी जा सकती है, यह कहने के लिए कि वाहन का उधारकर्ता पीएसी के अंतर्गत नहीं आता है।

(13) यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में, मालिक-चालक के लिए पीएसी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया था। जीआर-36 के तहत 'मालिक-चालक' शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि "अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना कवर केवल देयता और पैकेज नीतियों दोनों के तहत लागू होगा। 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बीमित वाहन के मालिक को इस धारा के प्रयोजनों के लिए मालिक-चालक कहा जाता है। परिभाषा स्पष्ट रूप से 'मालिक-चालक' के अर्थ को

प्रतिबंधित करती है। इसमें केवल बीमित वाहन का मालिक शामिल है। एक और शर्त यह है कि पी. ए. सी. मालिक के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए एक 'प्रभावी' ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

(14) जीआर-36 में नोट में कहा गया है कि केवल व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत मालिक ही व्यक्तिगत दुर्घटना कवर का हकदार है यदि उसके पास एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस है। उक्त कवर वहां नहीं दिया जाना है जहां वाहन का स्वामित्व किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह के निकाय कॉर्पोरेट के पास है। यह आगे स्पष्ट करता है कि मालिक का प्रतिनिधि पीएसी के दायरे में नहीं आएगा।

(15) 'मालिक-चालक' शब्द को परिभाषित किया गया है, इसलिए, दावेदार को लाभ देने के लिए परिभाषा से कोई शब्द नहीं जोड़ा या हटाया जा सकता है ताकि 'मालिक-चालक' शब्द का अर्थ मालिक या चालक तक बढ़ाया जा सके।

(16) अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय को अपास्त किया जा रहा है, जिसके द्वारा दावेदारों को 1,00,000/- रुपये के मुआवजे का हकदार पाया गया। अधिनियम की धारा 140 को लागू करना उचित होगा। उक्त प्रावधान के तहत, दावेदार 'नो फॉल्ट लायबिलिटी' के लिए 50,000 रुपये के हकदार होंगे, जैसा कि प्रावधान किया गया है।

(17) दिनांक 01.11.2013 के अधिनिर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि दावेदार 1,00,000/- रुपये के स्थान पर रु. 50,000/- के हकदार होंगे, जैसा कि अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि दावेदार 50,000/- रुपये के भुगतान में देरी के लिए, यदि कोई हो, तो ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए ब्याज के हकदार होंगे।

(18) यदि प्रतिवादी उक्त आदेश से व्यथित हैं तो वे एक आवेदन दायर करके अपील को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(19) अपील का निपटारा उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा